न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 50/2023 राजस्व वाद

1. नारायण लाल पिता हीरा लाल जाति माली आयु वयस्क निवासी मालियो का मौहल्ला, निलकण्ड महादेव रोड़, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

––वादी

बनाम

1. प्रेरिका पुत्री पुष्पेन्द्रसिंह जाति महाजन आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. बीना पत्नी पुष्पेन्द्रसिंह जाति महाजन आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. मंजू पत्नी हरिशचन्द जाति महाजन आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजश्री पत्नी सुरेन्द्रसिंह जाति महाजन आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
6. उप पंजीयक भीलवाड़ा प्रथम व द्वितीय जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 सपठित धारा 151 जा0 दी0

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री श्रवण सेन– वादी/अप्रार्थी
2. श्री अमित कोठारी– प्रतिवादी/प्रार्थी

निर्णय दिनांक–२२.०१.2026

वादी द्वारा दिनांक 13.10.2023 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 92क एवं 188 के अन्तर्गत एक वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वाद कम संख्या 50/2023 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई।

वादी द्वारा ग्राम पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 1507 रकबा 0.1644 हैक्टयर के खातेदार कृषक वादी है, इस कारण विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के नाम से हटाई जाकर तन्हा वादी के नाम राजस्व अभिलेख में अंकन कराये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी कम संख्या 01 लगायत 04 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 सपठित धारा 151 जा0 दी0 दिनांक 02.05.2025 को पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

वादी ने क्लेवर ड्राफ्टींग करते हुये यह वाद दिखावटी तौर पर घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया हुआ होना प्रकट किया है लेकिन वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का अवलोकन करने से ही स्पष्ट जाहिर होता है कि वादी हस्तगत वादपत्र के माध्यम से तथाकथित इकरारनामा दिनांकित 18/01/2009, जिसका उल्लेख वादपत्र की कलम संख्या 03 में किया गया है, की पालना करा खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाह रहा है, जो कोई किसी प्रकार से न्यायालय श्रीमान् के समायत योग्य नहीं है। इसके अलावा वादी विवादित आराजियात में तथाकथित अनरजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार होने की घोषणा कराना चाह रहा है, जो कतई विधी सम्मत् नहीं है। इस प्रकार वादी ने तथाकथित इकरारनामे के आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा कराने की दाद चाही है, जिसका अधिकार क्षेत्र न्यायालय श्रीमान् को नहीं है । इस आधार पर वादीगण का वादपत्र न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का न होने से काबिल निरस्तगी के है

22/1/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रथमदृष्टया ही स्पष्ट है कि वादीगण ने हस्तगत वादपत्र तथाकथित इकरारनामे के आधार पर निराधार पेश किया हुआ है, जो न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का न होकर बार्ड बाई लॉ होने से कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है।

माननीय राजस्थान हाईकोर्ट व राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित कई एक ज्युडिशियल प्रोनाउन्समेंटों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि न्यायालय ऐसे मामले, जो कानुनन पोषणीय नहीं है, में धारा 151 जा.दी. के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रकरण के किसी भी स्तर पर सोमोटो भी खारिज फरमा सकती है। ऐसी हालत में भी वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र कानुनन पोषणीय न हो काबिल खारिजी के है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र प्रतिवादीगण स्वीकार फरमा वादी का वादपत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने का आदेश बक्षाया जावे

प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब वादी की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 गलत होकर अस्वीकार है. इस कलम का जवाब इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण के पूर्वज जगन्नासिंह, छतरसिंह उर्फ चतरसिंह पिता सगतसिंह महाजन (बुलिया) दोनो सगे भाई थे. जिनके आपस में ग्राम पुर की आराजी नम्बर 1507 के बाबत् समझौता हुआ था जिसके अनुसार आराजी नम्बर 1507 रकबा 13 बिस्वा भूमि छतरसिंह उर्फ चतरसिंह के हक व कब्जे में थी जिसके बाबत् समझौता अनुसार जगन्नाथसिंह ने अपने भाई छतरसिंह उर्फ चतरसिंह के पक्ष में एक ईकरार पत्र दिनांक 21.07.1997 को निष्पादित किया था एवं छतरसिंह उर्फ चतरसिंह महाजन (बुलिया) ने अपने पक्ष में निष्पादित दस्तावेज के आधार पर आराजी नम्बर 1507 रकबा 13 बिस्वा भूमि को 1,10,000/– रूपये में वादी के पिता हीरालाल आत्मज प्यारचन्द माली को विक्रय कर, विक्रय राशी सम्पूर्ण प्राप्त कर, कब्जा मौके पर वादी के पिता हीरालाल आत्मज प्यारचन्द माली को सिपूर्द कर दिया था, हीरालाल की मृत्यु के बाद विरासत से वादी मौके पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग व कास्त करता आ रहा है, जिसको करीबन 16 वर्ष हो चूके है, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी को स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है, जिसके लिए खातेदारी अधिकारो की घौषणा, राजस्व न्यायालय द्वारा की जायेगी, जो कि दस्तावेज एवं साक्ष्य से साबित होगा, इसलिए इस वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को होने से श्रीमान के यहाँ प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद पत्र को खारीज नहीं किया जा सकता है. अतः प्रार्थना पत्र खारीज होने लायक है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 गलत होकर अस्वीकार है, इस कलम जवाब इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा आपसी सहमती से ईकरार निष्पादित किया हुआ है, जो कि साक्ष्य के बिन्दू से तय हो होगा, वाद पत्र विधि के तहत प्रस्तुत किया हुआ है, जिसे किसी भी तरह से खारीज नहीं किया जा सकता है, अतः प्रतिवादी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज होने लायक है।

प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 तीन गलत होकर अस्वीकार है, इस कलम का जवाब इस प्रकार है प्रस्तुत वाद पत्र के मुख्य अभिवचन प्रतिवादीगण के पूर्वजो द्वारा समझौता इकरार नामा एवं इसके पश्चात् विक्रय पत्र का निष्पादित होकर, कब्जा मौके पर वादी का होने के आधार पर है, उक्त तथ्य वादी की दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होगा, यदि कोई दस्तावेज अपंजीकृत, अपर्याप्त स्टाम्प पर है, तो उसके लिए विधि के अनुरूप न्यायालय अपनी शक्तियो का प्रयोग करते हुऐ, तावान तय कराया जाने हेतु निर्देशित किया जा सकता है, किन्तु वाद पत्र को खारीज नही किया जा सकता है, वाद पत्र के समस्त तथ्य साक्ष्य के बिन्दू से तय होगें, अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारीज होने लायक है।

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब वादी की ओर से प्रस्तुत है, जिसे रेकॉर्ड पर लिया जाकर, प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निम्न अनुतोष चाहा गया है:–

वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादियागण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घौषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित ग्राम पुर प0 ह0 पुर प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 1507 रकबा 0.1644 हैक्टेयर से प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घौषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में दुरस्थी कराई जावे।

वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित ग्राम पुर की आराजी संख्या 1507 रकबा 0.1644 हैक्टेयर के उपयोग–उपभोग व काश्त करने में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न तो स्वयं उत्पन्न करे, न अन्य से करावे, मौके से बेदखल नहीं करे, प्रतिवादी संख्या 05 राजस्व रेकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे, प्रतिवादी संख्या 06 उक्त भूमि के अन्तरण बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नहीं करे।

हर्जा–खर्चा वकील मेहनताना वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

अन्य अनुतोष मुफिद हो जो वादी को प्रतिवादीगण से दिलाय जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सम्यक रूप से निस्तारण किये जाने हेतु आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों पर विचार किया जाना आवश्यक है। आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधान निम्नानुसार है:–

A. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है।
B. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
C. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
D. जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
E. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है।
F. जहां वादी 9 नियम की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की कलम संख्या 2 व 3 में ग्राम पुर की वादग्रस्त आराजी संख्या 1507 रकबा 0.1644 हैक्टयर (13 बिस्वा) अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 18.01.2009 मालियत 110000 रूपये में छतरसिंह उर्फ चतरसिंह पिता संगतसिंह महाजन द्वारा हीरालाल पिता प्यारचन्द माली के पक्ष में अंतरित किये जाने के आधार पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का नही होकर सिविल न्यायालय का है। अतः वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों से बाधित होने से खारिज होने योग्य है।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादी के पिता द्वारा 16 वर्ष पूर्व वादग्रस्त भूमि छतरसिंह उर्फ चतरसिंह द्वारा निष्पादित इकरारपत्र दिनांक 21.07.1997 से क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। वादी का 16 वर्ष से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होने से प्रतिकुल कब्जे के आधार पर वादी को स्वतः खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। जिसकी घोषणा राजस्व न्यायालय द्वारा की जाएगी। साथ ही दस्तावेज एवं साक्ष्य से उक्त दस्तावेज विक्रय पत्र की सत्यता साबित किया जाना संभव नहीं हो सकता। अतः वादी के पक्ष में विक्रेता भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकार क्षेत्र राजस्व न्यायालय का होने से वादी का वाद चलने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज फरमाया जावे।

2/12/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में ग्राम पुर की वादग्रस्त आराजी संख्या 1507 रकबा 0.1644 हैक्टयर (13 बिस्वा) भूमि जरिये अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 21.07.1997 मालियत 110000 रूपये वादी द्वारा अपने वादपत्र में होना स्वीकार किया गया है। विचाराधीन न्यायालय को 99 रूपये से अधिक मालियत के अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर किसी भी वादप को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 (D) के विधिक प्रावधानों से प्रथम दृष्टया बाधित है। अतएवं

—: आदेश :—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है और वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 7 नियम 11 (D) जाब्ता दीवानी के विधिक प्रावधानों से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

2/1/26

(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा